राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(3) बैठक/न्याय/2021/15 जयपुर, दिनांक 11.01.2021

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
शासन प्रमुख सचिव/
शासन सचिव।

समस्त जिला कलक्टर
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः—लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अवमानना प्रकरणों के इन्द्राज करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

एस. बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 1961/2018 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में पारित आदेश दिनांक 06.08.2020 के क्रम में मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2020 को बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान यह बिन्दु सामने आया कि लाईट्स सॉफ्टवेयर में उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ के दर्ज अवमानना प्रकरणों व राजस्थान उच्च न्यायलय में दर्ज अवमानना प्रकरणों की संख्या में विसंगति है जिसके निराकरण हेतु मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए थे।

इस सम्बन्ध में अनुरोध है, कि लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अवमानना प्रकरणों का इन्द्राज सम्बन्धित न्यायालय में यथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ट्रिब्यूनल एवं अधीनस्थ न्यायालय इत्यादि में ही इन्द्राज करवाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

शासन संयुक्त सचिव

D:\SO\ P. 2(3) LITES Meeting & Minutes